1/8/25

अपील परीक्षण उप०। अपील वादी द्वारा आधिपत्य-पत्र
अस्थाई का निवेदन किया है कि उपखण्ड के संबंध में
उपनिवेशन द्वारा एक वाद वादिस विविध न्यायालय
करौली में संस्थित किया गया था जो स्थगित चल रहा
है इसलिए अब निर्णय विचारणीय नहीं रह गया इसलिए वाद
निरा किया जाता है। अतः वादी द्वारा चाहा गया
अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दिया जाने की
सहायार्थ ही [illegible] कैलाश मुनाम [illegible]
नमूना के कब्जे [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.08.16 14:34:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

1/8/25
उपखण्ड अधिकारी